निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

20 आश्विन 1942 (शo)

(सं0 पटना 787) पटना, सोमवार, 12 अक्तूबर 2020

शिक्षा विभाग

अधिसूचना

15 मई 2020

विषय :– **आन्तरिक स्रोत से प्राप्त राशि से संस्थागत कार्यों (शैक्षणिक गतिविधियाँ, वार्षिक रख–रखाव अनुबंध, विभिन्न प्रकार की मरम्मति, साफ–सफाई, बिजली, बागवानी, सफेदीकरण इत्यादि) हेतु अध्यापक शिक्षा संस्थान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों को प्रतिवर्ष रू० 12.00 लाख (बारह लाख) तथा प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को प्रतिवर्ष रू० 6.00 लाख (छः लाख) व्यय करने के अधिकार की स्वीकृति देने एवं छात्र–छात्राओं से लिए जाने वाले सभी प्रकार के शुल्क, परीक्षा, संस्थान संचालन आदि से संबंधित मार्गदर्शिका निर्गत करने हेतु शिक्षा विभाग को अधिकृत करने के संबंध में।**

सं० 12/प्रशिक्षण–89/2007–111—राज्य में शिक्षा के सुदृढीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा अध्यापक शिक्षा संस्थानों, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों, प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों एवं प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में भव्य भवन एवं पर्याप्त आधारभूत संरचना का निर्माण राज्य सरकार द्वारा किया गया है। संस्थानों में प्रशिक्षण का कार्य नियमित रूप से संचालित है तथा कुछ संस्थानों में संचालन प्रक्रियाधीन है। पूर्व में इन संस्थानों में सीमित संरचना थी और तद्नुरूप रख–रखाव में व्यय की आवश्यकता कम रहने के फलस्वरूप मंत्रिपरिषद की दिनांक–14.02.2012 की बैठक के निर्णयानुसार संस्थान को आंतरिक संसाधन से मात्र रू० 1,50,000/– (एक लाख पचास हजार रू०) की राशि की व्यय की अनुमति दी गई है। वर्त्तमान में भव्य भवन एवं विस्तृत परिसर के रख–रखाव, शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन (शैक्षणिक भ्रमण, कार्यशाला, सेमीनार, आंतरिक मूल्यांकन, एक्सन रिसर्च इत्यादि), विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (कम्प्यूटर, जनरेटर, वायोमैट्रिक एटेन्डेंस मशीन इत्यादि) के वार्षिक रख–रखाव, अनुबंध एवं आवश्यकतानुसार क्रय, भवन के रख–रखाव एवं मरम्मति, किचेन उपकरणों, फर्नीचर, छात्रावास, बिजली के तार एवं उपकरणों की मरम्मति, साफ–सफाई, विद्युत विपत्र का भुगतान, बागवानी, पुस्तकालय प्रयोगशाला सामग्री का क्रय, भवन का सफेदीकरण इत्यादि के लिए संस्थान के प्राचार्य को समुचित राशि की स्वीकृति एवं व्यय के अधिकार देने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

दिनांक–06.05.2020 को मंत्रिपरिषद् की बैठक के निर्णयानुसार नांमाकन, छात्र–शुल्क, संस्थान संचालन इत्यादि से संबंधित मार्गदर्शिका निर्गत करने हेतु शिक्षा विभाग को अधिकृत किया जाता है। साथ ही अध्यापक शिक्षा संस्थान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय के प्राचार्यों को प्रतिवर्ष रू० 12.00

लाख (बारह लाख) तथा प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्यों को प्रतिवर्ष रू० 6.00 लाख (छः लाख) व्यय करने की स्वीकृति दी जाती है। इससे अधिक व्यय होने पर प्राचार्य को शिक्षा विभाग से अनुमति लेना आवश्यक होगा।

संस्थान में आन्तरिक स्रोत से प्राप्त राशि से संस्थागत कार्यों (शैक्षिक गतिविधियाँ, वार्षिक रख–रखाव, अनुबंध, विभिन्न प्रकार की मरम्मति, साफ–सफाई, बिजली, बागवानी, सफेदीकरण आदि) हेतु अध्यापक शिक्षा संस्थान, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालयों के प्राचार्य को प्रतिवर्ष रू० 12.00 लाख (बारह लाख) तथा प्रखंड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्यों को प्रतिवर्ष रू० 6.00 लाख (छः लाख) व्यय करने की स्वीकृति दी जाती है।

प्राचार्य के द्वारा व्यय राज्य सरकार के वित्तीय नियमों के आलोक में किया जायगा तथा विभाग के स्तर से इसके संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किया जायगा।

डी०एल०एड०, बी०एड० तथा एम०एड० कोर्स में नामांकन, अर्हता, पाठ्यक्रम, परीक्षा इत्यादि से संबंधित आदेश विभाग द्वारा निर्गत किया जायेगा। डी०एल०एड०, बी०एड० तथा एम०एड० कोर्स में नामांकन शुल्क एवं अन्य शुल्कों का पुनर्निर्धारण तथा आवश्यकतानुसार समय–समय पर शुल्क की दर को संशोधित करने का अधिकार शिक्षा विभाग को होगा। साथ ही संस्थान संचालन, परीक्षा आदि से संबंधित मार्गदर्शिका निर्गत करने हेतु शिक्षा विभाग को अधिकृत किया जाता है।

आदेशः– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतिलिपि सभी संबंधित संस्थान के प्राचार्य एवं पदाधिकारियों को प्रेषित की जाए।**

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
अरशद फिरोज,
उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 787-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in